

**अकादमी द्वारा प्रदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की स्थिति**

**(Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the Academy)**

क्र.	प्रदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों का विवरण	प्राप्तकर्ता/पात्र व्यक्ति	प्राविधान
1	अकादमी छात्रावास में आवासीय सुविधा	➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी	➤ आवासीय सुविधा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा.
2	अकादमी अतिथि गृह में आवासीय सुविधा	➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट व्यक्ति	➤ कार्यक्रम/गतिविधि में योगदान व व्यवस्था के अनुसार विशिष्ट व्यक्तियों को अकादमी का अतिथि घोषित किया जाता है.
3	पुस्तकालय सुविधा	➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी ➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट व्यक्ति ➤ मुख्यालय नैनीताल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ➤ माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ➤ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक स्थानीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ता व प्राध्यापक	➤ प्रतिभागीगण कार्यक्रम अवधि में स्वतः ही पुस्तकालय के सदस्य माने जाते हैं. ➤ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक सेवा अवधि में सदस्य माने जाते हैं. ➤ अन्य अधिकारीगण व शोधकर्ता निर्धारित शुल्क जमा कर पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं.
4	कम्प्यूटर इन्टरनेट सुविधा (कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय, अतिथि गृह, छात्रावास, संकाय व स्टाफ के कार्यालय कक्ष)	➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी ➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट व्यक्ति ➤ संकाय अधिकारीगण, कार्मिक	अतिथि वार्ताकार, विशिष्ट व्यक्ति व प्रतिभागीगण कार्यक्रम अवधि में इस सुविधा का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं.
5	मैस सुविधा	➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी	➤ प्रतिभागी अधिकारियों को निर्धारित शुल्क के भुगतान

## अध्याय-तेरह

सूचना अधिकार अधिनियम 2005: डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल का सूचना मैनुवल  
धारा-4(1)(b)(xiii)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट व्यक्ति</li> <li>➤ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पर</li> <li>➤ अतिथि वार्ताकारों/विशिष्ट व्यक्तियों को कार्यक्रम शुल्क में से भुगतान पर.</li> <li>➤ वार्ताकारों/विशिष्ट व्यक्तियों के साथ अन्य सदस्यों को निर्धारित भुगतान के आधार पर.</li> <li>➤ कार्यक्रम अवधि में संबंधित कार्यक्रम निदेशक निःशुल्क.</li> <li>➤ संकाय सदस्यों को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर.</li> </ul>
6	कार्य दिवस पर चाय की सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ निर्धारित शुल्क के भुगतान पर.</li> </ul>
7	क्रीड़ा सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी</li> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट व्यक्ति</li> <li>➤ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है. कार्यक्रमानुसार प्राप्त शुल्क में से निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है.</li> </ul>
8	परिवहन सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी</li> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट अतिथि</li> <li>➤ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रशिक्षण कार्य के लिए निःशुल्क.</li> </ul>
9	स्थानीय बोट हाऊस क्लब की सदस्यता	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी</li> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट अतिथि</li> <li>➤ अकादमी के संकाय अधिकारीगण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अकादमी स्थानीय बोट हाऊस क्लब का संथागत सदस्य है अतएव प्रतिभागियों, वार्ताकारों, विशिष्ट अतिथियों, संकाय को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवधि में अस्थायी सदस्यता के पास जारी किये जाते हैं.</li> <li>➤ क्लब में ली गयी सेवा</li> </ul>

## अध्याय-तेरह

सूचना अधिकार अधिनियम 2005: डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल का सूचना मैनुवल  
धारा-4(1)(b)(xiii)

			/सुविधा का भुगतान प्रतिभागी अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाता है.
11	सूचना का अधिकार कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अकादमी से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने वाला अधिकारी/व्यक्ति</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने हेतु रु. 10.00 के निर्धारित शुल्क प्राप्त कर सूचना उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही.</li> <li>➤ लोक सूचना अधिकारी के स्तर से सूचना उपलब्ध कराया जाना</li> <li>➤ कठिपय मामलों में अपीलीय अधिकारी स्तर पर अकादमी स्तर पर ही विभागीय अपीलीय अधिकारी से सूचना प्राप्त की जा सकती है.</li> <li>➤ सूचना प्राप्त करने हेतु अभिलेखों की छाया प्रति हेतु निर्धारित रु. 2.00 प्रति छाया प्रति की दर से शुल्क प्राप्त कर सूचना उपलब्ध करायी जाय.</li> </ul>
12	टी.वी. केवल कनेक्सन सुविधा (अकादमी मैस लाउन्ज, छात्रावासों के लाउन्ज, अतिथि गृह के कक्ष, अधिकारियों व स्टाफ के आवास)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी</li> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम/गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट अतिथि</li> <li>➤ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रतिभागी अधिकारियों, अतिथि वार्ताकारों व विशिष्ट अतिथियों को अकादमी प्रवास के दौरान निःशुल्क.</li> <li>➤ संकाय व स्टाफ को निर्धारित मासिक शुल्क के भुगतान पर.</li> </ul>